



प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक

प्रायोजक:
पंजाब नेशनल बैंक

प्रधान कार्यालय: प्रथमा भवन, राम गंगा विहार फेज-II
कांठ रोड, मुगदाबाद-244001, उ.प्र.

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के अन्तर्गत (वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए) नीलामी बिक्री सूचना

हालांकि, उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(2) सहपठित नियमावली के अधीन ग्रामीण बैंक वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2007 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी, यू.पी. द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसके तहत निर्देशित तिथियों को खाता धारक को नोटिस दी गयी। यह नोटिस 60 दिन के अंदर राशि के भुगतान की मांग करने के लिए जारी की गयी थी। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नियम (8) के साथ पठित उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त समय अर्वाधि के अंदर कर्जदार/गारंटीदाता द्वारा राशि को जमा नहीं करने पर, उसके तहत निर्देशित तिथि को निम्नलिखित खाते में उसके विरुद्ध कब्जा प्राप्त किया गया था: इसके बावजूद निम्नलिखित संपत्तियों की बिक्री कर्जदारों/गारंटीदाताओं द्वारा राशि को जमा नहीं करने के कारण निविदा आमंत्रण के द्वारा की जा रही है।

क्र. सं.	कर्जदार/गारंटीदाता का नाम शाखा का नाम	संपत्ति का विवरण / संपत्ति के स्वामी	मांग सूचना की तिथि बकाया राशि	धारा 13(4) के अधीन कब्जा की तिथि	आरक्षित मूल्य (रु. में)	धरोहर राशि जमा की अंतिम तिथि एवं स्थान नीलामी का समय एवं स्थान
					धरोहर राशि	
1	कर्जदार आजम पुत्र एजाज हुसैन निवासी मोहल्ला टाकिया मेमरान, सदर, जनपद रामपुर गारंटीदाता 1. मुनीर अहमद पुत्र मोहम्मद रईस खान, निवासी मोहल्ला मज़ार साह बागदावी, सदर, जनपद रामपुर गारंटीदाता 2. अब्दुल शादब, पुत्र अब्दुल रज़ाक निवासी मोहल्ला टाकिया मेमरान शाह सदर जनपद रामपुर, शाखा: बाजार नसरुल्लाह खान	बंधक संपत्ति आवासीय भवन है जिसका माप एरिया 28.15 वर्ग मीटर है। अवस्थित मोहल्ला टाकिया मेमरान, सदर, जनपद रामपुर जो कि सब-रजिस्ट्रार कार्यालय तहसील-सदर, जनपद- रामपुर में पंजीकृत है। संपत्ति के स्वामी: आजम पुत्र एजाज हुसैन निवासी मोहल्ला टाकिया मेमरान, तहसील सदर, जनपद रामपुर, चौहद्दी: पूर्व: रास्ता 10 फीट, पश्चिम: रास्ता 8 फीट, उत्तर: विक्रेता का शेष भाग, दक्षिण: अशरफ अली का मकान।	20.12.2023 रु. 5,91,917.00, 31.01.2023 के मुताबिक, + ब्याज एवं अन्य प्रभार	12.03.2024 सांकेतिक कब्जा	872650.00 87265.00 (नीलामी से एक दिन पूर्व)	10.09.2024 ई-नीलामी की तिथि 11.09.2024 क्षेत्रीय कार्यालय-राम्पुर समय: सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक
2	कर्जदार मैसर्स शिव एग्रीकल्चर स्वामी उमेश चंद्र पुत्र चंद्र प्रकाश निवासी गांव पुरेनिया खुर्द, तहसील मिलक, जिला रामपुर, गारंटीदाता 1. श्रीमती छोटी पत्नी उमेश चंद्र निवासी गांव पुरेनिया खुर्द, तहसील मिलक, जनपद रामपुर, 2. श्रीमती अनीता देवी पत्नी विमलेश कुमार, निवासी गांव पुरेनिया खुर्द, तहसील मिलक, जनपद रामपुर, 3. चंद्र प्रकाश पुत्र दोदराज निवासी गांव पुरेनिया खुर्द, तहसील मिलक, जनपद रामपुर, 4. वीरेन्द्र पुत्र देव प्रकाश निवासी गांव पुरेनिया खुर्द, तहसील मिलक, जनपद रामपुर शाखा: मिलक	बंधक संपत्ति आवासीय भवन है जिसका माप एरिया 68.84 वर्ग मीटर तथा 71.53 वर्ग मीटर है। अवस्थित गांव पुरेनिया खुर्द, तहसील मिलक, जनपद रामपुर जो कि सब-रजिस्ट्रार कार्यालय तहसील-मिलक जनपद-रामपुर पर पंजीकृत है। संपत्ति के स्वामी: 1. चंद्र प्रकाश पुत्र दोदराज निवासी गांव पुरेनिया खुर्द, तहसील मिलक, जनपद रामपुर, 2. श्रीमती छोटी पत्नी उमेश चंद्र तथा श्रीमती अनीता पत्नी विमलेश दोनों निवासी गांव पुरेनिया खुर्द, तहसील मिलक, जनपद रामपुर, चौहद्दी: (एरिया 68.84) पूर्व: प्लॉट गुड्डू, पश्चिम: प्लॉट छोटी, उत्तर: प्लॉट राम बहादुर, दक्षिण: रास्ता 10 फीट चौड़ा (71.53 वर्ग मी.), पूर्व: प्लॉट गुड्डू, पश्चिम: रोड मिलक विक्रमपुर खान, उत्तर: प्लॉट राम बहादुर, दक्षिण: रास्ता 9 फीट।	31.05.2023 रु. 1953909.00, 31.05.2023 के मुताबिक, + ब्याज एवं अन्य प्रभार	03.08.2023 सांकेतिक कब्जा	2447000.00 244700.00 (नीलामी से एक दिन पूर्व)	10.09.2024 ई-नीलामी की तिथि 11.09.2024 क्षेत्रीय कार्यालय-राम्पुर समय: दोपहर 12 बजे से अप. 1 बजे तक

सम्पत्ति के पूर्ण विवरण/अन्य जानकारी संबंधित शाखा में उपलब्ध:-

नीलामी की नियम व शर्तें: 1. नीलामी के समय, बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी, प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक के नाम में देवयोग्य आरक्षित मूल्य की 10% ईएमडी को ड्राफ्ट/पे ऑर्डर/आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करना होगा। इसे निर्धारित समय से पहले जमा करना अनिवार्य है। 2. बोलीदाता को जैसे ही बोली स्वीकार की जाती है तभी अपना पहचान पत्र/आधार कार्ड लाना होगा और नीलामी बोली की 25% रकम का ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर तुरंत जमा करना होगा और शेष राशि को 15 दिनों के अंदर जमा करना होगा, अन्यथा पहले से जमा की गई राशियाँ जप्त कर ली जाएंगी। 3. उक्त सम्पत्तियों को "जैसा है जहाँ है" आधार पर बेचा जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी इसके लिए बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 4. असफल बोलीदाता के ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर/आरटीजीएस/एनईएफटी को नीलामी सम्पत्ति के बाद उसी दिन बगैर ब्याज के वापस कर दिया जाएगा। 5. हस्तांतरण से जुड़े खर्च जैसे स्टैम्प व रजिस्ट्रेशन शुल्क आदि सभी कानूनी खर्चों को सफल बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा। 6. सम्पत्ति पर सभी सरकारी करों और शुल्कों की जिम्मेदारी बोलीदाता होगी। 7. उक्त पते पर किसी भी कार्यदिन में अन्य जानकारी प्राप्त की जा सकती है, सम्पर्क करें शाखा-रामपुर मेन। 8. नीलामी आरक्षित मूल्य से शुरू होगी तथा बोलीदाता पाँच हजार के गुणजों में अपने प्रस्ताव में सुधार करेंगे, उच्चतम बोलीदाता को नीलामी के बंद होने पर सफल बोलीदाता घोषित कर दिया जाएगा। 9. यदि देनदार ने नीलामी की है, यदि बैंक नियत तिथि से पहले समस्त बकायों का भुगतान करता है तो नीलामी रद्द कर दी जाएगी। 10. यह नोटिस कर्जदार तथा जमानतदार को 30 दिन का नोटिस माना जाएगा।

दिनांक: 08.08.2024

स्थान: रामपुर

प्राधिकृत अधिकारी, प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक